



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 369]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2025—पौष 9, शक 1947

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

क्रमांक GAD/2/0012/2024/GAD-1-01(GAD)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 2 में, अनुसूची में:-

1. शीर्षक "एक-सामान्य प्रशासन विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 95 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

"(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

2. शीर्षक "दो-गृह विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में:-

1. शीर्षक "अ-सामान्य" के अंतर्गत:-

(क) अनुक्रमांक 32-ख तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

"32-ख. राज्य शासन के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 196, 197 एवं 299 के अधीन किए गए दण्डिक अपराधों तथा आपराधिक षड़यंत्र के अपराधियों के अभियोजन के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 217 के अधीन पूर्व अनुज्ञा."

(ख) अनुक्रमांक 34 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति."

2. शीर्षक "आ-पुलिस" के अंतर्गत अनुक्रमांक 19 में मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति."

3. शीर्षक "तीन-जेल विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 8 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

"(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति।"

4. शीर्षक "चार-वित्त विभाग" के अंतर्गत, भाग (अ) में, अनुक्रमांक 37 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

"(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति।"

5. शीर्षक "पांच-वाणिज्यिक कर विभाग" के अंतर्गत, भाग (अ) में, अनुक्रमांक 23 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति।"

6. शीर्षक "सात-राजस्व विभाग" के अंतर्गत, भाग (अ) में अनुक्रमांक 50 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति।"

7. शीर्षक "आठ-परिवहन विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में अनुक्रमांक 12 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

8. शीर्षक "नों-खेल और युवा कल्याण विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 21 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति।"

9. शीर्षक "ग्यारह-औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 24 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति ।"

10. शीर्षक "बारह-खनिज साधन विभाग" के अंतर्गत भाग(अ) में अनुक्रमांक 10 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

11. शीर्षक "चौदह-किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग" के अंतर्गत, भाग (अ) में, अनुक्रमांक 18 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

12. शीर्षक "पंद्रह-सहकारिता विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 9 में, मद क्रमांक(दो)तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

"(दो)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति ।"

13. शीर्षक "सोलह-श्रम विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में अनुक्रमांक 13 में, मद क्रमांक(दो)तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

"(दो)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति ।"

14. शीर्षक "सत्रह-लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 32 में, मद क्रमांक(दो)तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

"(दो)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति ।"

15. शीर्षक "अठारह-नगरीय विकास एवं आवास विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 31में, मद क्रमांक(दो)तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

"(दो)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति ।"

16. शीर्षक "उन्नीस-लोक निर्माण विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 9 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति।"

17. शीर्षक "बीस-स्कूल शिक्षा विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 25 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति।"

18. शीर्षक "इक्कीस-विधि और विधायी कार्य विभाग" के अंतर्गत-

(1) भाग (अ) में, शीर्षक "भाग अ- विधि परामर्श शाखा" के अंतर्गत-

(क) अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

"3. दण्ड विधि, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) में के समस्त विषय सम्मिलित किए गए हैं।"

(ख) अनुक्रमांक 4 में, मद क्रमांक(एक) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

"(एक) दण्ड प्रक्रिया जिसमें, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 196, 197 एवं 299 के अधीन अभियोजन के लिए धारा 217 के अधीन पूर्व स्वीकृति तथा अपराधियों की परिबीक्षा को छोड़कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) में के समस्त विषय सम्मिलित हैं"

(ग) अनुक्रमांक 21 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

"(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति."

(2) भाग (आ) में-

(क) अनुक्रमांक 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

"9. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)।"

(ख) अनुक्रमांक 29 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

"29. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47)."

(ग) अनुक्रमांक 36 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

"36. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45)."

19. शीर्षक "तेईस-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 18 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात,-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा

218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

20. शीर्षक "चौबीस-जनसंपर्क विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 13 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात,-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

21. शीर्षक "पच्चीस-जनजातीय कार्य विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 9 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात,-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

22. शीर्षक "छब्बीस-सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 15 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

23. शीर्षक "सत्ताईस-नर्मदा घाटी विकास विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 8 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

24. शीर्षक "उन्तीस-खादय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 14 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

25. शीर्षक "तीस-संस्कृति विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 29 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-

"(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

26. शीर्षक "इकतीस-जल संसाधन विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 14 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

"(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

27. शीर्षक "तैंतीस-पर्यटन विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 3 में, मद क्रमांक(दो)तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-

"(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

28. शीर्षक "चौतीस-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 7 में, मद क्रमांक (दो)तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

29. शीर्षक "छत्तीस-मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 11 में, मद क्रमांक (दो)तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

30. शीर्षक "अड़तीस-उच्च शिक्षा विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 18 में, मद क्रमांक (दो)तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-

"(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

31. शीर्षक "इक्तालीस-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 13 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-
"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.
32. शीर्षक "बयालीस-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 9 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-
"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.
33. शीर्षक "पैंतालीस-विमानन विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 8 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-
"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.
34. शीर्षक "पचास-महिला एवं बाल विकास विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 15 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-
"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.
35. शीर्षक "बावन-कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 13 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर

निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

36. शीर्षक "चौवन-पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याणविभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में,-
(1) शीर्षक "भाग (1)-पिछड़ा वर्ग कल्याण" के अंतर्गत, अनुक्रमांक 9 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्-

"(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

- (2) शीर्षक "भाग (2)-अल्पसंख्यक कल्याण" के अंतर्गत, अनुक्रमांक 8 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

37. शीर्षक "अड्डावन-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 17 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

38. शीर्षक "उनसठ-आयुष विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 7 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-

"(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 कस 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

39. शीर्षक "साठ-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग" के अंतर्गत, भाग (अ) में, मद अनुक्रमांक 6 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-

"(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

40. शीर्षक "इकसठ-लोक सेवा प्रबंधन विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 6 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-

"(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

41. शीर्षक "बासठ-विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 6 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-

"(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

42. शीर्षक "तिरेसठ-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में अनुक्रमांक 5 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-

"(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

43. शीर्षक "चौसठ-प्रवासी भारतीय विभाग" के अंतर्गत, भाग (अ) में, अनुक्रमांक 16 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-
- "(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.
44. शीर्षक "पैंसठ-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग" के अंतर्गत, भाग (अ) में, अनुक्रमांक 13 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-
- "(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.
45. शीर्षक "छियासठ-पर्यावरण विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 7 में, मद क्रमांक(दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-
- "(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.
46. शीर्षक "अड़सठ - धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) में, अनुक्रमांक 35 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-
- "(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.
47. शीर्षक "उन्हत्तर-लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग" के अंतर्गत, भाग (अ) में, अनुक्रमांक 10 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-
- "(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.
48. शीर्षक "सत्तर-आनन्द विभाग" के अंतर्गत, भाग (अ) में, अनुक्रमांक 9 में, मद क्रमांक (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्,-
- "(दो). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुभाष कुमार द्विवेदी, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

क्र. GAD-2-0012-2024-GAD-एक-01(GAD).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक GAD-2-0012-2024-GAD-एक-01(GAD), दिनांक 30 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष कुमार द्विवेदी, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th December 2025

No. GAD/2/0012/2024/GAD-1-01(GAD)- In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules, In rule 2, in the Schedule,-

- (1) Under the heading “I-GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 95, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against Public Servants under Section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and Special/Other Acts.”

- (2) Under the heading “II-HOME DEPARTMENT”, in PART (A),

(1) under heading “A-GENERAL”, -

- (a) for serial number 32-B and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“32-B. Pre-permission under section 217 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) to prosecute offenders of Criminal Offences and Criminal conspiracy committed against State Government under

section 196, 197 and 299 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).”;

- (b) in serial number 34, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

- (2) Under the heading “B-POLICE”, in serial number 19, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

3. Under the heading “III-JAIL DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 8, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

4. Under the heading “IV-FINANCE DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 37, for item number (ii) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating

thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

5. Under the heading “V-COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 23, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

6. Under the heading “VII-REVENUE DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 50, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

7. Under the heading “VIII-TRANSPORT DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 12, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

8. Under the heading “IX-SPORTS AND YOUTH WELFARE DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 21, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item

number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

9. Under the heading “XI-INDUSTRIAL POLICY AND INVESTMENT PROMOTION DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 24, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

10. Under the heading “XII-MINERAL RESOURCES DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 10, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

11. Under the heading “XIV-FARMER WELFARE AND AGRICULTURE DEVELOPMENT DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 18, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita,

2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

12. Under the heading “XV-CO-OPERATION DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 9, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.
13. Under the heading “XVI-LABOUR DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 13, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.
14. Under the heading “XVII-PUBLIC HEALTH AND MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 32, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.
15. Under the heading “XVIII-URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 31, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

- “(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.
16. Under the heading “XIX-PUBLIC WORKS DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 9, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
- “(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.
17. Under the heading “XX-SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 25, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
- “(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.
18. Under the heading “XXI-LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT”,-
- (1) in PART (A), under the heading “PART A-LEGAL ADVICE WING”,-
- (a) for serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
- “3. Criminal law, including all matters in the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).”;

- (b) in serial number 4, for item number (i) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(i) Criminal Procedure including all matters in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) except the previous sanction under section 217 for the prosecution under section 196, 197 and 299 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) and probation of offenders;”;

- (c) in serial number 21, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”;

- (2) in PART (B),-

- (a) for serial number 9 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“9. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023).”;

- (b) for serial number 29 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“29. The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).”;

- (c) for serial number 36 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“36. The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).”.

19. Under the heading “XXIII-PLANNING, ECONOMICS AND STATISTICS DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 18, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

20. Under the heading “XXIV-PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 13, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

21. Under the heading “XXV-TRIBAL AFFAIRS DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 9, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under

section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

22. Under the heading “XXVI-SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 15, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

23. Under the heading “XXVII-NARMADA VALLEY DEVELOPMENT DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 8, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

24. Under the heading “XXIX-FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 14, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

25. Under the heading “XXX-CULTURE DEPARTMENT”, in PART

(A), in serial number 29, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

26. Under the heading “XXXI-WATER RESOURCES DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 14, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

27. Under the heading “XXXIII-TOURISM DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 3, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

28. Under the heading “XXXIV-PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 7, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita,

2023 (46 of 2023) and Special/Other Acts.”.

29. Under the heading “XXXVI-FISHERMAN WELFARE AND FISHERIES DEVELOPMENT DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 11, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

30. Under the heading “XXXVIII-HIGHER EDUCATION DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 18, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

31. Under the heading “XLI-SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 13, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

32. Under the heading “XLII-TECHNICAL EDUCATION, SKILL DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 9, for item number (ii) and entries

relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

33. Under the heading “XLV-AVIATION DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 8, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

34. Under the heading “L-WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 15, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

35. Under the heading “LII-COTTAGE AND RURAL INDUSTRY DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 13, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

36. Under the heading "LIV-BACKWARD CLASSES AND MINORITIES WELFARE DEPARTMENT", in PART (A),-

(1) Under the heading "PART (1)-BACKWARD CLASSES WELFARE", in serial number 9, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.";

(2) Under the heading "PART (2)-MINORITIES WELFARE", in serial number 8, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.".

37. Under the heading "LVIII-HORTICULTURE AND FOOD PROCESSING DEPARTMENT", in PART (A), in serial number 17, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.".

38. Under the heading "LIX-AYUSH DEPARTMENT", in PART (A), in serial number 7, for item number (ii) and entries relating

thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

39. Under the heading “LX-NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 6, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

40. Under the heading “LXI-PUBLIC SERVICE MANAGEMENT DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 6, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

41. Under the heading “LXII-DENOTIFIED, NOMADIC AND SEMI-NOMADIC WELFARE DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 6, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita,

2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

42. Under the heading “LXIII-SCHEDULED CASTE WELFARE DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 5, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

43. Under the heading “LXIV-OVERSEAS INDIAN DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 16, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

44. Under the heading “LXV-MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 13, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against public servants under section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and special/other Acts.”.

45. Under the heading “LXVI-ENVIRONMENT DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 7, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against Public Servants under Section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and Special/Other Acts.”

- (46) In the Hindi version, under the heading "अइसठ-धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग", in PART (अ), in serial number 35, for item number (दो) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

"(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति।" ।

- (47) Under the heading “LXIX-PUBLIC ASSETS MANAGEMENT DEPARTMENT”, in PART (A), in serial number 10, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against Public Servants under Section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and Special/Other Acts.”

- (48) Under the heading “LXX-HAPPINESS”, in PART (A), in serial number 9, for item number (ii) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“(ii) Sanction of prosecution against Public Servants under Section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and Special/Other Acts.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SUBHASH KUMAR DWIVEDI, Addl. Secy.